



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 639 राँची, बुधवार

11 भाद्र, 1937 (श०)

2 सितम्बर, 2015 (ई०)

नगर विकास एवं आवास विभाग

संकल्प

27 अगस्त, 2015

विषय:- राज्य के शहरी निकायों में नगर प्रबंधक (City Manager) के पद पर संविदा के आधार पर सेवा प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त पदों का सृजन।

संख्या-1/स्था०/श०स्था०नि०/पद सृजन-9/2015--3158--नगर विकास विभाग के संकल्प ज्ञापांक-693 दिनांक 22 फरवरी, 2010 के द्वारा राज्य के शहरी निकायों में नगर प्रबंधक (City Manager) के 42 पदों का सृजन किया गया है।

राज्य में विगत वर्षों में नये शहरी निकायों के गठन के फलस्वरूप निकाय के कार्यों में अतिशय वृद्धि हुई है, परन्तु पदाधिकारियों की घोर कमी रहने के कारण विकास

योजनायें प्रभावित हो रही हैं। शहरी निकायों के विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के निमित्त नगर विकास एवं आवास विभाग झारखण्ड, राँची के अन्तर्गत पूर्व में सृजित नगर प्रबंधक के पदों की संख्या के अलावे नगर प्रबंधक के अतिरिक्त पदों के सृजन की नितान्त आवश्यकता है।

2. सम्यक विचारोपरान्त राज्य सरकार ने नगर प्रबंधक के अतिरिक्त 58 (अन्ठावन) पदों के सृजन का निर्णय लिया है, जिसकी विवरणी संलग्न परिशिष्ट-1 में अंकित है।

3. शैक्षणिक योग्यता:- **MBA or PG Degree/Diploma in Management or PG Degree/ Diploma in Public Administration or PG Degree in Town Manager/Planning and Development from recognized Institution/University.**

4. इन पदों पर संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त करने के लिए एक उच्चस्तरीय समिति बनायी जाएगी एवं आवश्यकतानुसार नियुक्ति के लिए झारखण्ड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा पर्षद (JCECEB) /Professional Organisation की सहायता ली जाएगी।

5. नगर प्रबंधक (City Manager) नगर निगम/नगर परिषद/नगरपालिका/नगर पंचायत/ अधिसूचित क्षेत्र समिति में नगर आयुक्त/कार्यपालक पदाधिकारी/विशेष पदाधिकारी को संबंधित स्थानीय निकाय के कार्यों के संपादन में आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे।

6. नगर प्रबंधक (City Manager) के पद पद 3 (तीन) वर्षों के लिए संविदा आधारित सेवाएँ प्राप्त की जायेगी तथा उनका कार्य संतोषप्रद रहने पर सेवा विस्तार किया जा सकेगा।

7. संविदा पर सेवाएँ प्राप्त करने के क्रम में आरक्षण नियमों का पालन किया जाएगा।

8. झारखण्ड प्रशासनिक सेवा के पद पर नियुक्ति के समय अनुमान्य वेतन के आधार पर नगर प्रबंधकों (City Manager) को मासिक संविदा राशि देय होगी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अरूण कुमार सिंह,

सरकार के प्रधान सचिव ।

परिशिष्ट-1

झारखण्ड राज्य के शहरी स्थानीय निकायों में सिटी मैनेजर के अतिरिक्त पदों के सृजन की विवरणी:-

क्र.	जिला का नाम	निकाय का नाम	पूर्व से सृजित पद	नये सृजित पद	कुल पदों की संख्या
1	धनबाद	धनबाद नगर निगम	3	2	5
2	धनबाद	चिरकुण्डा नगर पंचायत	-	2	2
3	गिरिडीह	गिरिडीह नगर परिषद	2	-	2
4	हजारीबाग	हजारीबाग नगर परिषद	2	-	2
5	कोडरमा	झुमरी तिलैया नगर परिषद	2	-	2
6	कोडरमा	कोडरमा नगर पंचायत	-	2	2
7	बोकारो	चास नगर निगम	2	3	5
8	बोकारो	फुसरो नगर परिषद	2	-	2
9	चतरा	चतरा नगर परिषद	2	-	2
10	राँची	राँची नगर निगम	5	3	8
11	राँची	बुण्डू नगर पंचायत	-	2	2
12	गुमला	गुमला नगर परिषद	-	2	2
13	लोहरदगा	लोहरदगा नगर परिषद	2	-	2
14	सिमडेगा	सिमडेगा नगर पंचायत	-	2	2
15	खूँटी	खूँटी नगर पंचायत	-	2	2
16	रामगढ़	रामगढ़ नगर परिषद	-	2	2

17	दुमका	दुमका नगर परिषद	2	-	2
18	दुमका	बासुकीनाथ नगर पंचायत	-	2	2
19	देवघर	देवघर नगर निगम	2	3	5
20	देवघर	मुधुपुर नगर परिषद	2	-	2
21	गोड्डा	गोड्डा नगर पंचायत	-	2	2
22	पाकुड़	पाकुड़ नगर परिषद	-	2	2
23	साहेबगंज	साहेबगंज नगर परिषद	2	-	2
24	राजमहल	राजमहल नगर पंचायत	-	2	2
25	जामताड़ा	मिहिजाम नगर परिषद	-	2	2
26	जामताड़ा	जामताड़ा नगर पंचायत	-	2	2
27	पश्चिमी सिंहभूम	चाईबासा नगर परिषद	2	-	2
28	पश्चिमी सिंहभूम	चक्रधरपुर नगर परिषद	-	2	2
29	पूर्वी सिंहभूम	चाकुलिया नगर पंचायत	-	2	2
30	पूर्वी सिंहभूम	जमशेदपुर अ.क्षे.स.	2	-	2
31	पूर्वी सिंहभूम	मानगो अ.क्षे.स.	2	-	2
32	पूर्वी सिंहभूम	जुगसलाई नगरपालिका	2	-	2
33	सरायकेला-खरसावाँ	सरायकेला नगर पंचायत	-	2	2
34	सरायकेला-खरसावाँ	आदित्यपुर नगर निगम	2	3	5
35	पलामु	मेदिनीनगर नगर परिषद	2	-	2
36	पलामु	हुसैनाबाद नगर पंचायत	-	2	2
37	पलामु	विश्रामपुर नगर परिषद	-	2	2

38	गढवा	गढवा नगर पंचायत	-	2	2
39	गढवा	मझिआँव नगर पंचायत	-	2	2
40	गढवा	नगर उँटारी नगर पंचायत	-	2	2
41	लातेहार	लातेहार नगर पंचायत	-	2	2
			42	58	100
